

प्रकरण संख्या 15/2018 श्रीमती राम कुंवर बनाम भोपालसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.02.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। बाजदायरी प्रार्थना पत्र वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 11.10.2017 के विरुद्ध दिनांक 13.08.2018 को प्रस्तुत किया गया है, जो करीब 9 माह विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है एवं इसके लिए उन्होंने अपने अधिवक्ता द्वारा गलत तारीख नोट किया जाना बताया है, जबकि इस बाबत अधिवक्ता का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदनुसार प्रार्थना पत्र मयाद बाहर होने से इसी आधार पर खारिज योग्य है।</p> <p>अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र बेरुन मयाद होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p align="center">(एम.एल. चौहान) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</p>	

